FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (SDO) बायतु.... मुकाम....

....चिमाराम वगै०.... बनाम ....ओमदाराम वगैरा....

किस्म मुकदमा ....रास्ता आवेदन.... नं. ....32/19.... सन् ....2019....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/01/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विपक्षी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13/02/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
13/02/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणो के नोटिस तामील फार्म तामील मजाल। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/05/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
15/05/19	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यो मे व्यस्त है। पत्रावली इल्तवा होकर। दिनांक 22/07/19 को पेश हो। पुनश्च: विपक्षीगणो के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। (हस्ताक्षर)	
22/07/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु0। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 16/10/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

16/10/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी के खातेदारी खेतों के सेढा मेढ विपक्षीगण के खेत आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगण के सेढो पर जो पुरानी मेढ एंव डोला थे जो आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षीगण के खेतों के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो रहा है। तथा सेढो पर किसी प्रकार की कोई कच्ची पक्की मेढ या चिन्ह आदी नहीं होने से विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जा शुदा खेत का जबरदस्ती सेढा तोड़ देते है एवम बरसात होने पर काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है इसलिए प्रार्थी का मेढबन्दी आवेदन स्वीकार कीया जाकर मेढबन्दी आदेश कीया जावे।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का मेढबन्दी आवेदन स्वीकार कीया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त कीया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थरगढ़ी मेढबन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार (राज्य पैरोकार)

(SDO)
बायतु

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

वाद / 2019 / 688 दिनांकः– 16/10/19

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
चिमाराम पुत्र नारणाराम जाति जाट वगैरा2 निवासी लुनाड़ा तहसील बायतु जिला बाडमेर		गोमदाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट वगैरा 36 निवासी लुनाड़ा तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 32 / 2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा लुनाड़ा पटवार हल्का लुनाड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1490 / 1165 ,1493 / 1165 रकबा क्रमश 63.11, 33.00 बीघा कुल रकबा 96.11 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें। एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500 / – जमा करा कर करें। एवं पालना रिर्पाट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 689–93 दिनांकः– 16/10/19

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी लुनाड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चिमाराम पुत्र नारणाराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण गोमदाराम पुत्र जेठाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2019.11.30 15:30:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: